न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 94/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कंवराराम पुत्र कलाराम 2. जेठाराम पुत्र कलाराम 3. लूम्बाराम पुत्र कलाराम 4. शेराराम पुत्र कलाराम 5. जोगा पुत्र हरजी 6. बाबू पुत्र हरजी 7. राजों पत्नि हरजी जातियान सुथार निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. खेताराम पुत्र धीराराम 2. हराराम पुत्र धीराराम 3. धमण्डाराम पुत्र हीराराम 4. पेमाराम पुत्र हीराराम 5. मंगलाराम पुत्र हीराराम 6. हरचन्द पुत्र हीराराम 7. भूराराम पुत्र डालूराम 8. जेती पत्नि डालूराम 9. सोहनलाल पुत्र डालूराम 10. टीकमाराम पुत्र मानाराम 11. दूदाराम पुत्र भीयाराम 12. बाबूराम पुत्र भीयाराम 13. पेम्पीदेवी पत्नि भीयाराम 14. रामाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 15. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू 16. भूमि पति तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 16 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 01 से 15 एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 27.08.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 299 रकबा 16.2528 हैक्टयर ग्राम जोगासार तहसील सिणधरी में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

अवस्थित है, जिससे लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 4.0046 हैक्टयर खसरा नम्बर 436/2 रकबा 1.5047 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्ध कर देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। कि प्रार्थीगण द्वारा के द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 303, 436/2 में से रास्ते की मांगी की है, हालाकि उक्त खसरों में निकटतम दूरी से रास्ता प्रदत करने से विप्रार्थीगण के खेत टुकड़ो में विभाजित हो रहे है, ऐसी स्थिति विप्रार्थीगण को नुकसान न हो जिस हेतु विप्रार्थीगण विकल्प के तौर पर विप्रार्थीगण के खेत के सेढे से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश है तथा जिससे बढी हुई क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने हेतु सहमत है, इस तरह विप्रार्थीगण से दोनो विकल्पो में से किसी भी विकल्प के स्थान पर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण को स्वीकार है। कि वक्त सेटलमेन्ट से सड़क मार्ग कटाण खसरा संख्या 363/1 के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ लेकिन बाद में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मार्ग का निर्माण मौके पर खसरा संख्या 436/1 में कर देने से वर्तमान में सार्वजनिक विभाग के नाम सड़क मार्ग के रूप में चलायमान एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, वक्त सेटलमेन्ट कटाण रास्ता और वर्तमान में दर्ज तथा मौके पर निर्मित सड़क दोनो समानान्तर चलायमान होने से सेटलमेन्ट के कटाण रास्ता का उपयोग नहीं होने एवं उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं होने के कारण मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग न होकर खातेदारों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मौके पर अवस्थित एवं चलायमान मुख्य सड़क मार्ग के खसरा संख्या 436/1 से जुड़ने से ही रास्ते की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रसतुत नक्शा परिशिष्ठ अ में बरंग लाल से दर्शित भूमि सरकारी में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 व 15 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे, विवादित भूमि सहित प्रस्तावित रास्ते के रूट की जमाबन्दियां प्रस्तुत की तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिणध्री से आवेदन के तथ्यों के संबंध में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 299 रकबा 16.2528 हैक्टयर ग्राम जोगासर तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिससे लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 303 रकबा 4.0046 हैक्टयर खसरा नम्बर 436/2 रकबा 1.5047 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्ध कर देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। कि प्रार्थीगण द्वारा के द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 303, 436/2 में से रास्ते की मांगी की है, हालाकि उक्त खसरों में निकटतम दूरी से रास्ता प्रदत करने से विप्रार्थीगण के खेत टुकड़ो में विभाजित हो रहे है, ऐसी स्थिति विप्रार्थीगण को नुकसान न हो जिस हेतु विप्रार्थीगण विकल्प के तौर पर विप्रार्थीगण के खेत के सेढे से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश है तथा जिससे बढी हुई क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने हेतु सहमत है, इस तरह विप्रार्थीगण से दोनो विकल्पो में से किसी भी विकल्प के स्थान पर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण को स्वीकार है। कि वक्त सेटलमेन्ट से सड़क मार्ग कटाण खसरा संख्या 363/1 के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ लेकिन बाद में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मार्ग का निर्माण मौके पर खसरा संख्या 436/1 में कर देने से वर्तमान में सार्वजनिक विभाग के नाम सड़क मार्ग के रूप में चलायमान एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, वक्त सेटलमेन्ट कटाण रास्ता और वर्तमान में दर्ज तथा मौके पर निर्मित सड़क दोनो समानान्तर चलायमान होने से सेटलमेन्ट के कटाण रास्ता का उपयोग नहीं होने एवं उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं होने के कारण मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग न होकर खातेदारों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मौके पर अवस्थित एवं चलायमान मुख्य सड़क मार्ग के खसरा संख्या 436/1 से जुड़ने से ही रास्ते की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रसतुत नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शित भूमि अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण को अदा किये जाने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का [illegible]ारतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ख.नं. 299 भूमि का रिकार्ड खातेदार है और [illegible] उक्त खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्रा[illegible] जोगासर के खेत ख.नं. 436/2 व 303 में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता होना बताकर उक्त रास्ते की भूमि गैरमुमकीन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता सड़क तक प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है और आवागमन के लिए प्रयुक्त हो रही है। रास्ते की चौड़ाई 8 मीटर है और ख.नं. 436/2 में रास्ते की लम्बाई 40 मीटर व प्रभावित रकबा 0.0320 हैक्टयर तथा ख.नं. 303 में रास्ते की लम्बाई 152 मीटर ओर प्रभावित रकबा 0.1216 हैक्टयर है। चूंकि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले में प्रभावित खातेदारान को उनके खसरे की प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि भुगतान करवाने का प्रावद्यान है और प्रभावित खसरों की डी.एल.सी. दर 251000/– रूप्ये प्रति हैक्टयर है। अतः खसरा नम्बर 436/2 के खातेदारों को प्रभावित रकबे 0.0320 हैक्टयर के बदले 16100/– रूप्ये तथा खसरा नम्बर 303 के खातेदारों की प्रभावित 0.1216 हैक्टयर भूमि के बदले 61100/– रूप्ये क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रार्थीगण से दिलवाये जाने है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित रास्ता की आवागमन का इकलौता विकल्प है और इसकी उसे आत्यंतिक आवश्यकता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम जोगासर तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 299 से निकटमत सरकारी सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 व 14 की खातेदारी भूमि ग्राम जोगासर के खेत खसरा नम्बर 136/2 रकबा 1.5047 हैक्टयर भूमि मे से 40 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.0320 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 303 रकबा 4.0046 हैक्टयर भूमि में से 152 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ा, जिसका रकबा 0.1216 हैक्टयर होगा, रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी सं. 1 से 14 को देय क्षतिपूर्ति राशि 77200/– अक्षरे सत्तहतर हजार दौ सौ रूप्ये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को स्वीकृति रास्ते की भूमि सरकारी खाते में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं तद्नुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./2025/1839 दिनांक 18.08.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित खातेदारान को उनके प्रभावित भूमि में निहित वास्तविक हिस्सानुसार करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:06:10 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner